बिहार विधान परिषद

205वांं शीतकालीन सत्र

लिखित उत्तर के लिए अल्पसूचित प्रश्न

10 नवंबर 2023

: [**शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा विज्ञान एवं प्रावैधिकी**].

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या- 9

संकल्पों/निदेशों की समीक्षा

35. **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि सूबे के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में जहां एक तरफ एस.सी. एवं एस.टी. कोटि के छात्र तथा सभी कोटि की छात्राओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिये जाने का निदेश है, वहीं दूसरी तरफ संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में उन्हीं शुल्कों से वहां के शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन मद में सत्तर प्रतिशत (70%) तथा विकास मद में तीस प्रतिशत (30%) खर्च किये जाने का निदेश है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कोटि के अलावे अन्य सभी कोटि के छात्र/छात्राओं से परीक्षा एवं पंजीयन प्रपत्र भराई समेत सभी शुल्क विश्वविद्यालयों द्वारा लिया जाता है जिसके कारण संबंधित महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मियों को ससमय वेतन भी नहीं मिल पाता है और संस्थागत विकास का कार्य भी बाधित होता है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खण्ड 'क' में वर्णित कोटि के छात्र-छात्राओं से संबंधित शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मियों तथा वेतन पर आश्रित उनके परिजनों के हित में नये

सिरे से उक्त दोनों संकल्पों/निदेशों की समीक्षा करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

चहारदीवारी का निर्माण

36. प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना समेत बिहार के 75466 सरकारी विद्यालयों में से 31552 स्कूलों में चहारदीवारी नहीं है, वहीं 8392 विद्यालयों की बाऊंड्री टूटी हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि सिर्फ पटना जिले में 3486 विद्यालयों में से 2506 विद्यालयों की चहारदीवारी (बाऊंड्री) नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं होने के कारण छात्र, शिक्षक, प्रधानाध्यापक खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मनरेगा योजना के तहत अधिकाधिक विद्यालयों में छात्रहित में चहारदीवारी का निर्माण यथाशीघ्र करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

मानदेय का भुगतान

37. मो. फारूक (विधान सभा):

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरियों का मानदेय वर्ष 2021 के अलग-अलग माह से लंबित है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार विभिन्न विद्यालयों के रात्रि प्रहरियों के लंबित मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कॉलेज खोलने पर विचार

38. श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिले के इमामगंज प्रखण्ड में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि इमामगंज प्रखण्ड में सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण काफी कठिनाई होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गया जिले के इमामगंज प्रखण्ड के लोगों के लिए एक सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

समस्त सुविधाएं कबतक

39. **श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों में विगत 16 वर्षों से भी अधिक समय से नियोजित शिक्षकों द्वारा लगातार सेवा दी जा रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विद्यालयों में कार्यरत विभिन्न कोटि के शिक्षकों एवं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों के पदनाम को क्रमशः सहायक शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में अंकित करते हुए राज्य के अन्य सरकारी कर्मियों के समतुल्य वेतन भत्ता एवं समस्त सुविधाएं शिक्षा व शिक्षक हित में अधिसूचित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भवन का निर्माण

40. **श्री सम्राट चौधरी (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में और माध्यमिक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उत्क्रमित विद्यालयों में भवन निर्माण कार्य या तो पूरा हो चुका है या निर्माणाधीन है;

(ग) क्या यह सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर अंचल अंतर्गत महावीर चौधरी उच्च माध्यमिक विद्यालय शांतिनगर (तारापुर) के भवन की स्वीकृति भी नहीं हुई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महावीर चौधरी उच्च माध्यमिक विद्यालय शांतिनगर का भवन निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पक्का भवन कबतक

41. **श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अन्तर्गत फुलवारी प्रखण्ड का आदर्श उच्च विद्यालय पलंगा में संचालित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में शेड के अलावे कोई पक्का भवन नहीं है, जिससे पठन-पाठन में दिक्कत होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में पर्याप्त संख्या में पक्का भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

लैब चालू कराने पर विचार

42. **डा. दिलीप कुमार जायसवाल (पूर्णिया, अररिया स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि प्रदेश के 1240 मध्य एवं माध्यमिक स्कूलों में आईसीटी लैब बंद रहने के कारण कम्प्यूटर की पढ़ाई नहीं हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत राज्य के 1987 मध्य एवं माध्यमिक स्कूलों में स्थापित आईसीटी लैब का संचालन विभिन्न एजेंसियां करा रही हैं;

(ग) क्या यह सही है कि आईसीटी लैब या स्मार्ट क्लास समग्र शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके जरिए विद्यार्थियों को कम्प्यूटर आधारित शिक्षा दी जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बंद पड़े आईसीटी लैब को चालू कराने की विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उत्क्रमण एवं पठन-पाठन की व्यवस्था कबतक

43. **प्रो. (डा.) रामवचन राय (मनोनीत):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिला के काको प्रखंडान्तर्गत दमुहा पंचायत के दमुहा ग्राम में उत्क्रमित विद्यालय, दमुहा को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण एवं पठन-पाठन की व्यवस्था हेतु जिला पदाधिकारी, जहानाबाद ने अपने पत्रांक – 688, दिनांक

– 31.03.2021 द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को स्वीकृति प्रदान के लिए पत्र लिखा है जिसके लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध करा दी गई है, जिसका थाना नं० – 469, खाता सं० – 213, खेसरा सं०- 484, रकवा – 75 डिसमिल, चौहद्दी : उत्तर- इन्द्रदेव मिस्त्री, दक्षिण – रामाशीष प्रसाद, पूरब – रास्ता, पश्चिम – एनवा सिवाना है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक – 688, दिनांक – 31.03.2021 में अंकित राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, दमुहा को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने एवं पठन-पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?